Neutral Citation No. - 2026:AHC:2294

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

## रिट - ए संख्या - 19101 वर्ष 2025

श्रवण कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता | : | अर्पित मालविया, अवधेश कुमार मालविया |
| प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता | : | सी.एस.सी. |

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्पित मालविया ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश मांगा गया है, जिसमें प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे प्रतिवादी संख्या 3 को उपरोक्त अंक पत्र के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता (पुरुष) के पद पर प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर जांच शुरू करने का निर्देश दें, क्योंकि उसमें अंतर्निहित त्रुटि है, और उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. तदनुसार, उपर्युक्त छूट के साथ रिट याचिका **वापस ले ली गई मानकर खारिज** की जाती है।

**7 जनवरी, 2026**
एन.एस.राठौर

**(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)**

Translated Version. Not For Legal Use.

*अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*